

बनाम

सुमन

गिराज वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2019	<p>वकील प्रार्थीया उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रिम पेशी तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 884/1131 रकवा 0.38 हे0 886/1132 रकवा 0.47 हे0 कुल किता 2 रकवा 0.85 हे0 1/5 हिस्सा वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर के रिकार्ड एवं मौके कि यथा स्थिति बनाये रखें ।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 22.07.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 22.07.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	<p>271 18/6/19</p>
21.6.19	<p>पत्रावली आज वकिल प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वकिल प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के दावा को खारिज करा लिया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आदेश पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत नकल के कठूमर जिले के दावा के अन्तर्गत रहे सुमान</p>	<p>सुमान Identified 21/6/19</p>